अमरजीत चौधरी और *एन. सी. खींची, न्यायमूर्ति के समक्ष*

कमल सिंह सिंहमार, - *याचिकाकर्ता,*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - उत्तरदाता।

सी.डब्ल्यू.पी. 1993 *की सं.* 9074

23 अगस्त, 1996

भारत का संविधान, 1950 - *अनुच्छेद* 226 - *विज्ञापित रिक्तियों से परे चयन अनुचित है - जिला अटॉर्नी के दो पदों का विज्ञापन दिया गया है, हालांकि, चयन से पहले भर्ती एजेंसी को भेजे गए दो और पदों के लिए अतिरिक्त मांग - ऐसी अतिरिक्त नियुक्तियां की जा सकती हैं - विज्ञापन में शर्त है कि संख्या कितनी है? पदों में किसी भी हद तक भिन्नता होती है, जिसे चयन से पहले भेजे गए अनुरोधों तक सीमित किया जाना चाहिए और उससे आगे नहीं - प्रतीक्षा सूची का उद्देश्य केवल उम्मीदवारों के शामिल न होने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरना है और प्रत्याशित रिक्तियों को भरना नहीं है - विज्ञापित और अतिरिक्त अधिसूचित रिक्तियों से परे चयन रद्द कर दिया गया है।*

अभिनिर्धारित किया कि यह विवाद में नहीं है कि आयोग ने जिला अटॉर्नी के दो पदों का विज्ञापन दिया था, लेकिन विज्ञापन में शर्त के मद्देनजर कि पदों की संख्या किसी भी सीमा तक भिन्नता के अधीन है, यह माना जा सकता है कि सेवा की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए और समापन तिथि के तुरंत बाद चयन से पहले और सार्वजनिक हित में भिन्नता हो सकती है। यदि अतिरिक्त मांग समापन तिथि के बाद भर्ती एजेंसी को भेजी जाती है, जैसा कि 16 मार्च के पत्र से इस मामले में स्पष्ट है। 1992 में, विज्ञापन की शर्तों कि पदों की संख्या में भिन्नता है, को केवल उस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और हम केवल वर्तमान मामले में उस सीमा तक इसका लाभ देना उचित समझते हैं। जहां तक प्रतिवादी संख्या 7 और 8 के चयन/नियुक्ति का संबंध है, इसे न तो कानून द्वारा और न ही किसी जनहित द्वारा समर्थित किया गया है क्योंकि उस सीमा तक कोई अतिरिक्त मांग नहीं की गई थी।

(पैरा 10)

इसके अलावा, प्रतीक्षा सूची का उद्देश्य केवल मुख्य चयन सूची से उम्मीदवारों के शामिल नहीं होने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरना है और प्रत्याशित रिक्तियों को भरना नहीं है, जो भर्ती नियमों या कार्यकारी निर्देशों के प्रावधानों को छोड़कर निकट भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं।

(पैरा 11)

इसके अलावा, विज्ञापन में इस तरह के खंड को निर्धारित करने से सरकार या भर्ती एजेंसी को मनमाने ढंग से भर्ती करने का अधिकार नहीं है और इस तरह के खंड को समापन तिथि के निकट भविष्य में और चयन से पहले होने वाली अतिरिक्त रिक्तियों की सीमित सीमा तक सीमित किया जा सकता है।

(पैरा 13)

इसके अलावा, यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि न्याय के उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा किया जाएगा यदि पदों के अलावा उम्मीदवारों को भेजने/सिफारिश करने और उत्तरदाताओं 7 और 8 के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर लागत का बोझ डाला जाता है, जो 10,000 रुपये की मात्रा में निर्धारित की जाती है, जिसे उत्तरदाताओं 1 और 2 के पदाधिकारियों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। लागत को दो महीने के भीतर हरियाणा राज्य विधिक

सहायता कोष में जमा किया जाना है।

(पैरा 15)

याचिकाकर्ता की ओर *से* अधिवक्ता *आर.के. जैन।*

डी. आर. त्रिखा, डीएजी, हरियाणा।

एच. एन. मेहतानी, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 10 की ओर *से जय वीर यादव,* अधिवक्ता

अमन दहिया, अधिवक्ता, *प्रतिवादी संख्या 10 के लिए।*

डी. एस. बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता और अनिल वालिया, प्रतिवादी *संख्या 10 के* अधिवक्ता

निर्णय

अमरजीत चौधरी, न्यायमूर्ति

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिकाकर्ता, जो सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में सेवारत थे, द्वारा दायर इस याचिका के निर्धारण के लिए प्रश्न दो गुना है अर्थात (i) क्या प्रतिवादी संख्या 2 हरियाणा लोक सेवा आयोग (इसके बाद इसे 'आयोग' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा प्राप्त जिला अटॉर्नी के पद के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पूरा हो गया था और क्या याचिकाकर्ता अन्य उम्मीदवारों के साथ विज्ञापित पदों के लिए विचार किए जाने का हकदार था और (ii) क्या दो विज्ञापित पदों के लिए जिला अटॉर्नी के रूप में छह उम्मीदवारों के चयन और नियुक्ति में प्रतिवादी संख्या 1 की कार्रवाई कानूनी रूप से टिकाऊ है या नहीं?

(2) आवश्यक विवरणों के बिना, इस मामले के संक्षिप्त तथ्य बताते हुए कि आयोग ने ट्रिब्यून में प्रकाशित दिनांक 11 जनवरी, 1992 के विज्ञापन संख्या 11 के माध्यम से जिला अटॉर्नी के दो पदों का विज्ञापन दिया था। विज्ञापन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: –

"दो जिला अटॉर्नी (ग्रुप-ए) अभियोजन विभाग, हरियाणा (एक पद केवल हरियाणा के एस. सी. के लिए आरक्षित है) वेतनमान 3,000-5,000 + 300 रुपये विशेष वेतन। 11 फरवरी, 1992 को आयु 30-40 वर्ष। शैक्षिक योग्यता (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री, (ii) कम से कम सात साल की अवधि के लिए एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किया होना चाहिए (iii) मैट्रिक कक्षा तक हिंदी।
विज्ञापन में, हालांकि, यह उल्लेख किया गया था कि *पदों की संख्या किसी भी सीमा तक भिन्नता के अधीन है।* (महत्व दिया गया). इसके अलावा, उक्त विज्ञापन के अंत में नोट II में यह भी उल्लेख किया गया था कि अपूर्ण आवेदन पत्र यानी बिना शुल्क, आयु का प्रमाण और न्यूनतम आवश्यक योग्यता पत्राचार में प्रवेश किए बिना सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
याचिकाकर्ता, जो संबंधित समय में अतिरिक्त जिला अटॉर्नी के रूप में सेवारत थे, को उचित

माध्यम से अपना आवेदन भेजने की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता ने 21 जनवरी, 1992 को उचित माध्यम से विज्ञापित पदों के लिए आवेदन किया था और 22 जनवरी, 1992 को सीधे आयोग को आवेदन की एक अग्रिम प्रति भेजी थी। आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 10 सितम्बर, 1992 के पत्र के *माध्यम से* सूचित किया गया था कि उसे साक्षात्कार के लिए बुलाना इस कारण से व्यवहार्य नहीं था कि उसका आवेदन पत्र समापन तिथि के बाद प्राप्त हुआ था। इसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक पी-5 में दी गई है। तथापि, आपत्तियां, यदि कोई हों, पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी थीं। याचिकाकर्ता द्वारा 17 सितंबर, 1992 को रिट याचिका के अनुलग्नक पी -7 की प्रति प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्तियों पर विचार करने के बाद इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि 10 रुपये का निर्धारित शुल्क सीधे आयोग को भेजे गए आवेदन के साथ नहीं भेजा गया था और उचित माध्यम से भेजा गया आवेदन आयोग द्वारा देर से प्राप्त किया गया था। इस निर्णय के बारे में याचिकाकर्ता को दिनांक 22 अक्तूबर, 1992 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था, जिसकी प्रति लिखित वक्तव्य के अनुलग्नक आर-1 में दी गई है। चयन को अंतिम रूप देने से पहले, वित्तीय आयुक्त और सरकार के सचिव, हरियाणा ने जिला अटॉर्नी की सीधी भर्ती के लिए दो अतिरिक्त रिक्तियों के लिए एक अनुरोध भेजा, जो निकट भविष्य में होने की संभावना थी। दिनांक 17 मार्च, 1992 के ज्ञापन सं 6215 *के माध्यम से* अधियाचन भेजा गया था।

आयोग ने शिमला में 22 जून, 1993 से 24 जून, 1993 तक और चंडीगढ़ में 29 जून, 1993 से 2 जुलाई, 1993 तक पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित किया और दिनांक 20 जुलाई, 1993 के पत्र के माध्यम से शुरू में विज्ञापित दो पदों के और अतिरिक्त मांग के विरुद्ध जिला अटॉर्नी (ग्रुप-ए) के पदों पर नियुक्ति के लिए छह उम्मीदवारों की सिफारिश की।
अनुशंसित उम्मीदवारों के नाम निम्नानुसार हैं: –

1. श्री बनवारी लाई।

2. श्री समाई सिंह चहल।

3. श्री चेतन दास (एस.सी.।

4. श्री मोहिंदर सिंह सिहाग।

5. श्री सुभाष चंद्र बजाज।

6. श्री जेसराज गुरवा (एस.सी.

उपरोक्त व्यक्तियों को रिट याचिका में प्रतिवादी 3 से 8 के रूप में शामिल किया गया था, जो जुलाई, 1993 के अंतिम सप्ताह में शामिल हुए थे। याचिकाकर्ता ने 28 जुलाई, 1993 को सिविल रिट याचिका दायर की जिसमें निजी प्रतिवादियों को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था।. 10 अगस्त, 1993 के लिए प्रस्ताव की सूचना जारी करते हुए प्रस्ताव पीठ ने आदेश दिया कि इस बीच, दूसरे पद पर नियुक्त उम्मीदवार का चयन/नियुक्ति दिनांक 29

जुलाई, 1993 के आदेश के तहत रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने चयनित उम्मीदवारों को रिट याचिका में पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और सभी प्रतिवादी अदालत के समक्ष हैं।

(3) हरियाणा राज्य, आयोग और निजी प्रतिवादियों ने लिखित बयान दायर किए हैं जिसमें उन्होंने विभिन्न मामलों में याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया है।

(4) याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के लिखित बयान में लिए गए रुख को बदलने के लिए प्रतिकृति दायर की।

(5) पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और हमारे निर्देश पर राज्य के अधिवक्ता ने रिकॉर्ड पेश किया।

(6) रिकॉर्ड से जो निर्विवाद स्थिति उभरती है वह यह है कि याचिकाकर्ता ने 21 जनवरी, 1992 को उचित माध्यम से जिला अटॉर्नी के पद के लिए आवेदन किया और 22 जनवरी, 1992 को सीधे आयोग को एक अग्रिम प्रति भेजी। यद्यपि याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था, फिर भी उसे इस कारण से कोई लाभ नहीं मिल सका कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी, 1992 थी और विज्ञापन के अनुसार बिना शुल्क आदि के प्रस्तुत अपूर्ण आवेदनों को सीधे खारिज कर दिया जाना था। माना जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा उचित माध्यम से भेजा गया आवेदन आयोग द्वारा 53 दिनों की देरी से प्राप्त किया गया था और सीधे आयोग को भेजा गया आवेदन अपेक्षित शुल्क के साथ नहीं था और याचिकाकर्ता द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत संलग्न नहीं किया गया था कि उसने आयोग को सीधे भेजे गए आवेदन के साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भेजा था। याचिकाकर्ता के स्वयं के प्रदर्शन के अनुसार, उसके पास केवल 5 रुपये की डाक की काउंटर पन्नी थी। इसके अलावा, आयोग ने *11 सितंबर, 1992 के पत्र* के माध्यम से याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया। याचिकाकर्ता ने 17 सितंबर, 1992 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिवादियों द्वारा विधिवत विचार किया गया। उक्त अभ्यावेदन को दिनांक 22 फरवरी, 1992 का एक विस्तृत आदेश पारित करके अस्वीकार कर दिया गया था, जिसकी प्रति लिखित वक्तव्य के अनुलग्नक आर-1 में दी गई है। याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। आयोग द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 1992 के आदेश में स्पष्ट की गई स्थिति को याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया माना जाता है। इसलिए, याचिकाकर्ता पहली गिनती में सफल नहीं हो सकता है जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है और इस तरह उसके खिलाफ यह कहते हुए फैसला किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन, जिसे उचित माध्यम से भेजा जाना आवश्यक था, आयोग को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के 53 दिनों के बाद प्राप्त हुआ था और आयोग को सीधे भेजा गया आवेदन निर्धारित शुल्क और शर्तों के मद्देनजर नहीं था। विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ता जिला अटॉर्नी के पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं था।

अब मामले के दूसरे पहलू पर आते हैं, जो हमारे अनुसार सबसे अधिक संविदात्मक है, अर्थात, क्या प्रतिवादी संख्या 2 अधिसूचित रिक्तियों के अलावा उम्मीदवारों का चयन और नियुक्ति कर सकता है, *याचिकाकर्ता* की ओर से पेश वकील श्री आर. के. जैन ने **होशियार सिंह बनाम हरियाणा राज्य** (1) मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसलों का हवाला दिया है और **मदन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य** (2) ने तर्क दिया है कि अधिसूचित रिक्तियों से परे सिफारिश अनुमेय नहीं थी और अधिसूचित रिक्तियों के अलावा चयन / नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

(1) जे.टी. 1993 (5) एस.सी. 63.

(2) जे.टी. 1995 (2) 291.

(7) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर चयन/नियुक्ति का समर्थन किया है कि विज्ञापन में ही यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि पदों की संख्या किसी भी सीमा तक भिन्नता के अधीन है और चयन से पहले हरियाणा राज्य ने सीधी भर्ती के लिए जिला अटॉर्नी की दो अतिरिक्त रिक्तियों के लिए एक अनुरोध भेजा था। अर्थात एक पद अनुसूचित जाति के लिए और एक सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित - दिनांक *16 मार्च, 1992 के पत्र के माध्यम से और दो उम्मीदवारों अर्थात उत्तरदाता 7 और 8 को प्रतीक्षा सूची में रखा गया था।* प्रतिवादियों द्वारा यह भी तर्क दिया गया था कि विचाराधीन चयन को मदन लाल और अन्य द्वारा 1993 के सीडब्ल्यूपी संख्या 13150 में चुनौती दी गई थी, जिसे 8 मार्च, 1994 को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादियों ने 1994 के सीडब्ल्यूपी 18577 (शमशेर सिंह बनाम *हरियाणा राज्य और अन्य*) 17 जुलाई, 1995 में दिए गए इस न्यायालय के एक अन्य खंडपीठ के फैसले कि ऊपर उल्लिखित निर्णयों के मद्देनजर रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए।

(8) हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर सोच-समझकर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। हमारा विचार है कि जहां तक प्रतिवादी 3 और 4 और दो और उम्मीदवारों के चयन/नियुक्ति का संबंध है, याचिकाकर्ता सफल नहीं हो सकता है, जिन्हें चयन से पहले भेजे गए अतिरिक्त अनुरोध के परिणामस्वरूप चुना और नियुक्त किया गया है। हालांकि, हमें प्रतिवादी 7 और 8 के चयन/नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील में दम नजर आता है, जिसे बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है और हमें नीचे दिए गए कारणों से उनके चयन और नियुक्ति को रद्द नहीं करने का कोई कारण नहीं दिखता है: –

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आयोग ने जिला अटॉर्नी के दो पदों का विज्ञापन दिया था, लेकिन विज्ञापन में इस शर्त को ध्यान में रखते हुए कि पदों की संख्या किसी भी सीमा तक भिन्नता के अधीन है, यह माना जा सकता है कि सेवा की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए और समापन तिथि के तुरंत बाद चयन से पहले और सार्वजनिक हित में भिन्नता हो सकती है। यदि भर्ती एजेंसी को समापन तिथि के बाद अतिरिक्त मांग भेजी जाती है, जैसा कि इस मामले में 16 मार्च, 1992 के पत्र से स्पष्ट है, तो विज्ञापन की शर्तों कि पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, को केवल उस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और हम केवल वर्तमान मामले में उस सीमा तक इसका लाभ देना उचित समझते हैं। जहां तक प्रतिवादी संख्या 7 और 8 के चयन/नियुक्ति का संबंध है, इसे न तो कानून द्वारा और न ही किसी जनहित द्वारा समर्थित किया गया है क्योंकि उस

सीमा तक कोई अतिरिक्त मांग नहीं की गई थी। आयोग को चार उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश /भेजना आवश्यक था यानी शुरू में विज्ञापित पदों के लिए दो उम्मीदवार और अतिरिक्त मांग के लिए दो। कानून का प्रस्ताव अच्छी तरह से तय है कि चयन प्राधिकारी इस कारण से अधिसूचित रिक्तियों के अलावा उम्मीदवारों की सिफारिश नहीं कर सकता है कि बड़ी संख्या में व्यक्तियों का चयन/सिफारिश, अर्थात, जिन पदों के लिए मांग भेजी गई है, उन उम्मीदवारों को वंचित कर देगा जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे और उसके बाद नियुक्ति के लिए पात्र हो गए थे। अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अवसर क्योंकि अतिरिक्त पद बाद में विज्ञापित किए जाते हैं और जो बाद में नियुक्ति के लिए पात्र हो जाते हैं, वे इसके लिए आवेदन करने के हकदार होंगे। हमारे इस दृष्टिकोण को *होशियार सिंह के मामले* (उपर्युक्त) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बल मिलता है। उत्तरदाताओं का यह तर्क कि प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को भी नियुक्ति का अधिकार है, ***अशोक कुमार और* अन्य बनाम अध्यक्ष, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड और अन्य** *(3)* में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा निर्धारित कानून के अनुपात को देखते हुए कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है / यह निर्धारित करते हुए कि प्रत्येक नागरिक को राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का मौलिक अधिकार है। रिक्त पदों या अपेक्षित रिक्तियों को अधिसूचित किया जाना चाहिए। बाद में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों को नियुक्त करके नहीं भरा जा सकता है। रिक्त पदों या बाद में उत्पन्न होने वाली अपेक्षित रिक्तियों को अधिसूचित किया जाना चाहिए ताकि उन सभी को विचार करने का अवसर मिल सके जो विज्ञापन के बाद और उक्त अतिरिक्त रिक्तियों के होने से पहले पात्र हो गए थे।

(3) जे.टी. 1995 (8) एस.सी. 276,

(9) हमने मदन लाल के मामले (उपर्युक्त) *में प्रतिवादियों द्वारा दिए गए फैसले पर भी विचार* किया है । हमारा विचार है कि प्रतिवादी उक्त फैसले से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी याचिकाकर्ता ने उस मामले में जिला अटॉर्नी के पदों के लिए आवेदन नहीं किया था। इस तरह, उनके पास चयन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। अशोक कुमार के मामले (उपर्युक्त) में *दिए गए फैसले* ने इस मामले में शामिल विवाद को पूरी तरह से कवर किया है, यानी, प्रतीक्षा सूची के सामने कोई चयन / नियुक्ति नहीं की जा सकती है। प्रतीक्षा सूची का उद्देश्य केवल मुख्य चयन सूची से उम्मीदवारों के शामिल न होने के कारण होने वाली रिक्तियों को भरना है और प्रत्याशित रिक्तियों को भरना नहीं है, जो भर्ती नियमों या कार्यकारी निर्देशों के प्रावधानों को छोड़कर निकट भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं। इस मामले में, ऐसा कोई नियम या निर्देश हमारे ध्यान में नहीं लाया गया था। 17 जुलाई, 1995 को 1994 की सिविल रिट याचिका संख्या 18577 में दिया गया एक अन्य डिवीजन बेंच का निर्णय *अशोक कुमार के मामले* (उपर्युक्त) के फैसले से पहले है, जो 9 नवंबर, 1995 का है। इसके अलावा, उस मामले में अतिरिक्त रिक्तियों और प्रतीक्षा सूची का मुद्दा नहीं था। वर्तमान मामले में, अतिरिक्त रिक्तियों का अनुरोध समापन तिथि के तुरंत बाद भेजा गया था और प्रतीक्षा सूची के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

(10) उत्तरदाताओं की यह दलील कि विज्ञापन के मद्देनजर, पदों की संख्या किसी भी सीमा तक भिन्नता के अधीन है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि सरकार के चयन

प्राधिकारियों द्वारा ऐसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ताकि इसे छिपाया जा सके; सभी पर बाध्यकारी प्रभाव डालने वाले सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश या न्यायिक निर्णयों द्वारा जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसे *पूर्ववत* करने की शक्तियों के साथ स्वयं के साथ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के प्रावधानों के आधार पर उसके अधीनस्थ न्यायालय और सभी प्राधिकरण। यदि प्रतिवादियों की दलील को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह न्यायिक फैसले को रद्द कर देगा और मनमानी और पक्षपात को जन्म देगा जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है।

(13) हमारा सुविचारित मत है कि विज्ञापन में इस प्रकार का खंड निर्धारित करने से सरकार या भर्ती करने वाली एजेंसी को भी मनमाने ढंग से भर्ती करने की अनुमति नहीं मिलती है और इस प्रकार के खंड को निकट भविष्य में होने वाली अतिरिक्त रिक्तियों की सीमित सीमा तक सीमित किया जा सकता है।

(14)ऊपर चर्चा किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमें प्रतिवादी 7 और 8 के चयन/नियुक्ति में कोई औचित्य नहीं मिलता है जो कानून द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून का अनादर है। इस प्रकार, हम उत्तरदाता 7 और 8 के चयन को रद्द करते हैं और उत्तरदाताओं 1 और 2 को उक्त पदों को फिर से अधिसूचित करने और आवेदन आमंत्रित करके और पात्र उम्मीदवारों पर विचार करके उन्हें भरने का निर्देश देते हैं। यदि उत्तरदाता 7 और 8 भी आवेदन करते हैं और पात्र पाए जाते हैं, तो उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है।

(15) चूंकि राज्य सरकार और आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन किया है और उत्तरदाताओं 7 और 8 को उनका चयन और नियुक्ति करके अनुचित लाभ दिया है और अन्य उम्मीदवारों को वंचित कर दिया है जिससे भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए राज्य पर एक कर्तव्य डाला जाता है। नागरिकों के अधिकारों का रक्षक होना, निष्पक्ष और स्वतंत्र चयन और नियुक्ति करना। हमारा सुविचारित विचार है कि न्याय का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब पदों के अलावा उम्मीदवारों को भेजने/सिफारिश करने और उत्तरदाताओं 7 और 8 के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर लागत का बोझ डाला जाता है, जो 10,000 रुपये निर्धारित की जाती है, जिसे उत्तरदाता 1 और 2 के पदाधिकारियों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। लागत को दो महीने के भीतर हरियाणा राज्य कानूनी सहायता कोष में जमा किया जाना है।

(16) रिट याचिका को आंशिक रूप से ऊपर बताए गए तरीके से अनुमति दी जाती है।

कमल सिंह सिंहमार *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य

(*अमरजीत चौधरी, न्यायमूर्ति*)

आर.जे.वाई.आर.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी